न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 66/2016

1. श्रीमती जुलेखा पत्नी श्री शरीफ बेग
2. श्री मुस्तफा
3. श्री आसीफ

पुत्रगण श्री शरीफ बेग
जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती जुलेखा पत्नी श्री शरीफ बेग
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

1. श्री आलम बेग
2. श्री अमीर बेग
3. श्री जमीर बेग
4. श्री बशीर बेग

पुत्रगण श्री नसीर बेग

5. श्री नसीर बेग पुत्र श्री गफूर बेग
6. श्रीमती रूकसाना पुत्री श्री शरीफ बेग
7. श्री इन्साफ पुत्र श्री शरीफ बेग
8. श्रीमती अफसाना पुत्री श्री शरीफ बेग

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

उपस्थित :–
1. श्री प्रदीप यादव, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री हरदत्त सहारण, वकील रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 से 4 व 6 से 8 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 08.03.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद के राजस्व ग्राम जिलावड़ा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 90 में अंकित खसरा नम्बर 658 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी के रेकार्डेड खातेदार की मृत्यु पश्चात् मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 11.10.1977 को अतिरिक्त तहसीलदार एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मृतक के वारिस

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

सर्वश्री आलमबेग, श्री अमीरबेग, श्री जमीरबेग, श्री बशीरबेग व श्री नसीरबेग पुत्रगण श्री गफूरबेग के नाम स्वीकृत कर दिया। अपीलान्टस ने अधिनस्थ द्वारा स्वीकृत इसी आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 11.10.1977 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 से 9 जरिये वकील उपस्थित हुए। मियाद एवं धारा 96 सपठित धारा 151 जा0 दी0 के बिन्दु पर रेस्पोन्डेन्टस द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर दोनों प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा षडयन्त्र पूर्वक अपीलान्टस को उपरोक्त भूमि से महरूम करने के लिए उपरोक्त आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच न कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में जरिये आक्षेपीय नामान्तरकरण मृतक की विरासत स्वीकृत कर दी है जबकि मृतक के श्री नसीरबेग नाम का कोई पुत्र ही नहीं था बल्कि मृतक के वारिसान में अपीलान्टस के पति/पिता श्री शरीफबेग विधिक वारिस थे तथा उनके स्थान पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान सरपंच ग्राम पंचायत बीर द्वारा प्रमाणित सजरा प्रमाण पत्र की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के स्थान पर अपीलान्ट्स एंए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 8 का नाम जोड़े जाने के आदेश दिये जावें।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपीलान्ट के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की जाकर अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत बीर द्वारा जारी मृतक के सजरा प्रमाण पत्र मुताबिक मृतक के वारिसान में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के नाम का अंकन नहीं होकर अपीलान्टस के पति/पिता श्री शरीफ बेग को मृतक का विधिक वारिस होना अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के नाम रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर नोटिस तामील नहीं हुआ व दैनिक समाचार पत्र में नोटिस साया करवाने के बावजूद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के वारिसान के संबंध में गहन जांच कर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही किया जाना रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है तथा अपील तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर मृतक के जायन्दा विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

आदेश आज दिनांक 08.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अपर अजमेर

Scanned by CamScanner